

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 15, 1976/पीष 25, 1897
No. 15] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 15, 1976/PAUSA 25, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF PETROLEUM

RESOLUTION

New Delhi, the 14th January 1976

PRICE STRUCTURE OF BON-ACID

No. N-19011/4/75-PC. I.—A number of representations have been received in respect of high price of indigenously manufactured Bon-Acid. the matter was referred to the Tariff Commission which went into this and submitted its Report in March, 1966. After examination of these recommendations, it was decided to refer the matter again to the Tariff Commission. Accordingly the Tariff Commission was requested in December, 1973 to enquire into the price structure of indigenously manufactured Bon-Acid under Section 12(d) of the Tariff Commission Act, 1951 (50 of 1951) and to submit its recommendation/report to Government in this regard.

2. The Commission having conducted an enquiry submitted its Report to Government in August, 1974. The recommendations of the Commission were based on the market conditions prevailing in 1973-74. The main recommendations of the Commission were as below:—

- (i) The Commission has recommended fair selling prices for Bon-Acid separately for each producer as below:—

M/s. Atul Products.—Rs. 78.20 per kg.

M/s. Amar Dye-Chem.—Rs. 27.00 per kg.

This large gap between the two prices is on account of the fact that M/s. Amar Dye Chem's product is based on beta-naphthol captively produced by them, whereas M/s. Atul Products's Bon-Acid was based on imported beta-naphthol. The Tariff Commission's recommendations are based on the then prevailing international prices of beta-naphthol of Rs. 64.69 per kg.

(ii) The Commission has observed that, since the recommended fair selling prices differed widely, the interests of the small scale dye manufacturers may be protected by obtaining the requirements of the small scale sector on quota-basis from the two Bon-Acid manufacturers, pooling the prices and selling it to the small scale user units through an appointed central agency such as the DCSSI.

(iii) The Tariff Commission has recommended maximising the production of Bon-Acid so that increased production of Bon-Acid results in consumers getting their needed supplies regularly and in adequate quantities. They have also recommended production of adequate quantities of Bon-Acid not only to satisfy domestic demand but also to be able to export some quantities.

3. The other recommendations were of a general nature and were calculated to improve efficiency of the industry.

4. After carefully considering the matter it is seen that the then prevailing prices adopted by the Tariff Commission do not exist now; the present prices for both imported and indigenous beta-naphthol vary between Rs. 22,000/- per ton and Rs. 23,000/- per ton. There have also not been any complaints received in the past several months regarding the non-availability or excessive prices of Bon-Acid. Sufficient capacity to take care of 5th plan demand for both Bon-Acid and the main intermediate used in its manufacture viz. beta-naphthol has been licensed/approved and these units are expected to come up shortly. As the rationale, neither for price fixation adopted by the Tariff Commission, nor the other recommendations made by it, exists now, Government do not accept the recommendations of the Tariff Commission.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India Extraordinary.

P. K. DAVE, Secy.

पेट्रोलियम मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 1976

बोन एसिड का मूल्य ढाँचा

सं० 19011/4/75-पी सी-1.—स्वदेशी उत्पादित बोन एसिड के अधिक मूल्य के सम्बन्ध में प्राप्त अनेक अभ्यावेदनों के कारण इस विषय को टैरिफ आयोग (प्रशुल्क आयोग) को भेजा गया जिसने इसकी जाँच की तथा मार्च 1966 में अपनी रिपोर्ट निर्णय प्रस्तुत की। इन सिफारिशों की जाँच करने के पश्चात् यह निर्णय किया गया कि इस विषय को पुनः टैरिफ कमिशन को भेज दिया जाये। अतः टैरिफ कमिशन अधिनियम 1951 की धारा 12(घ) के अन्तर्गत स्वदेशीय उत्पादित बोन एसिड के मूल्य ढाँचे की जाँच करने तथा इस सम्बन्ध में सरकार को अपनी सिफारिश/रिपोर्ट देने के लिये टैरिफ आयोग को दिसम्बर, 1973 में निवेदन किया गया।

2. आयोग ने जाँच कार्य करने के बाद अगस्त, 1974 में अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी। आयोग की सिफारिशें 1973-74 में विक्रयमान बाजार स्थिति पर आधारित हैं। आयोग की मुख्य सिफारिशें निम्न प्रकार हैं :—

(i) आयोग ने प्रत्येक उत्पादक के लिये अलग से बोन एसिड के उचित बिक्री मूल्य की सिफारिश की है जिसे नीचे बताया गया है :—

मैसर्स अतुल प्रोडक्ट्स	78.20 रु० प्रति किलो
मैसर्स अमर ड्राइ-केम	27.00 रु० प्रति किलो

दो मूल्यों के बीच अधिक अन्तर का कारण यह है कि मैसर्स अमर डाइकैम के उत्पाद बेटा नैपथोल जिसका वे अपने उपयोग हेतु उत्पादन करते हैं, पर आधारित है जबकि मैसर्स अतुल प्रोडैक्ट का बोन एसिड आयातित बेटा नैपथोल पर आधारित था। टैरिफ आयोग की सिफारिश उस समय विद्यमान बेटा नैपथोल के प्रति किलो 64-69 रुपये के विद्यमान अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित है।

- (ii) आयोग ने निरीक्षण किया है कि व्यापक रूप से भिन्न सिफारिश किये गये उचित बिज्जी मूल्यों के कारण लघु उद्योग क्षेत्र के रंजक निर्माताओं के हितों की दो बोन एसिड निर्माताओं से कोटा आधार पर लघु उद्योग क्षेत्र की आवश्यकता उपलब्ध करा कर मूल्यों का समूह कर और नियम केन्द्रीय अभिकरणों जैसे डी सी एस एस आई की मार्फत लघु उद्योग क्षेत्रों के उपभोक्ता यूनितों को इसे बेचकर रक्षा की जाये।
- (iii) टैरिफ कमिशन ने बोन-एसिड का अधिकतम उत्पादन करने की सिफारिश की है ताकि बोन एसिड के बड़े हुये उत्पादन के फलस्वरूप उन्हें अपनी आवश्यकता की सप्लाई नियमित रूप से और पर्याप्त मात्रा में मिलती रहेगी। उन्होंने बोन एसिड की पर्याप्त मात्रा का उत्पादन करने की सिफारिश न केवल घरेलू मांग को पूरा करने के लिये की है अपितु यह सिफारिश इसलिये भी की गई है कि इससे कुछ मात्रा का निर्यात किया जा सके।

3. अन्य सिफारिशें सामान्य थीं और उद्योग की कार्यकुशलता में सुधार के लिये थीं।

4. मामले की सावधानी से जांच करने के उपरान्त यह दिखाई देता है कि टैरिफ आयोग द्वारा अपनाये गये उस समय के मूल्य अब विद्यमान नहीं हैं; दोनों आयातित और देशी बेटा नैपथोल के लिये वर्तमान मूल्यों में 23,000 रुपये प्रति टन और 22,000 रुपये प्रति टन के बीच में अन्तर है। बोन-एसिड के अधिक मूल्य सेना अथवा अनुपलब्धता के बारे में भी पिछले कई महीनों में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। दोनों बोन एसिड और मुख्य मध्यवर्ती जो उनके निर्माण अर्थात् बेटा नैपथोल में प्रयोग किये जाते हैं, के लिये 5वीं सन्यन्त्र की मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त क्षमता हेतु लाइसेंस/मंजूरी दी गई है और इन सन्यन्त्रों के शीघ्र चालू होने की सम्भावना है। चूंकि टैरिफ आयोग द्वारा अपनाये गये मूल्य निर्धारण और उनके द्वारा दी गई अन्य सिफारिशें न तो युक्ति संगत हैं और नहीं अब विद्यमान है। इसलिये सरकार टैरिफ आयोग की सिफारिशें स्वीकार नहीं करती।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को भेजी जाये और इसे भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

पी० के० दत्ते, सचिव।

